RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक २६] बुधवार, ऑक्टोबर १९, २०१६/आश्विन २७, शके १९३८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १ अक्तूबर २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXV OF 2016.

AN ORDINANCE

TO PROVIDE FOR TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTIONS OF MEMBERS OF AUTHORITIES AND BODIES OF THE NON-AGRICULTURAL AND NON-TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES AND AD-HOC FORMATION OF SAID AUTHORITIES AND BODIES BY NOMINATION AND CO-OPTION.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५, सन २०१६।

कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों तथा निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन और नामनिर्देशन और सहयोजन द्वारा उक्त प्राधिकरणों और निकायों का तदर्थ गठन का उपबंध करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है;

और क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कृषितर और प्रौद्यौगिकेतर विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने और उन्हें, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि से, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में सन् २०१६ का विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ पुरस्थापित किया है और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ का निरसन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है ; सन् १९९४ का महा. ३५।

और क्योंकि उक्त विधेयक, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया है ;

और क्योंकि छात्रों के बृहत्त हित में विश्वविद्यालय के कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए सदस्यों के नामनिर्देशन और सहयोजन द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों का गठन करने के लिये उपबंध करना इष्टकर समझा गया है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों तथा निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन और नामनिर्देशन और सहयोजन द्वारा उक्त प्राधिकरणों और निकायों का तदर्थ गठन का उपबंध करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन और तदर्थ गठन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे, " विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, किंतु धारा ४३ तथा ४४ के उपबंधों या तद्धीन बनाए किसी परिनियमों के अध्यधीन,— सन् १९९४ का महा. ३५।

विश्वविद्यालय प्राधिकरणों तथा निकायों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन तथा तदर्थ गठन।

(क) विश्वविद्यालय अधिनियम की अनुसुची में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के ऐसे विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों के किसी भी निर्वाचित सदस्यों के चाहे किसी भी रित्या हुई रिक्तियों को भरने के लिये निर्वाचन नहीं लिया जायेगा, वह प्रस्तावित नए विश्वविद्यालय विधि के अधीन नए प्राधिकरणों या निकायों के गठन होने तक या ३१ अगस्त २०१७ तक, इसमें जो भी पहले हो, निर्वाचन लिये जायेंगे ;

(ख) विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकरणों तथा निकायों के रिक्त पदों पर सदस्यों का नामनिर्देशन, विश्वविद्यालय अधिनियम के क्रमशः उपबंधो के अनुसार होगा ;

(ग) विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकरणों तथा निकायों के रिक्त पदों पर सदस्यों का सह-योजन, विश्वविद्यालय अधिनियम के क्रमशः उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के खण्ड (ख) तथा (ग) में यथा उपबंधित नामनिर्देशित तथा सहयोजित सदस्य, तब तक, या तो प्रस्तावित नए विश्वविद्यालय विधि के अधीन नए प्राधिकरणों तथा निकायों के गठित होने तक या ३१ अगस्त २०१७ तक, इसमें जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेंगे।

स्पष्टीकरण.—इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिये " प्रस्तावित नया विश्वविद्यालय विधि " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०१६ (सन् २०१६ का वि.स. विधेयक क्र. १६) के अधीन प्रस्तावित अधिनियमिति से है।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों के अस्थायी स्थगन के परिणाम।

३. विश्वविद्यालय अधिनियम या तद्धीन बनाए गये किन्ही परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हूए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय के कोई कृत्य या कार्यवाही, उक्त अवधि के दौरान केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि, ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय में हुई रिक्तियाँ जो निर्वाचन द्वारा भरनी आवश्यक थीं इसप्रकार नहीं भरी गई हैं।

सन् २०१५ का महा. २९ का निरसन।

४. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन) अधिनियम, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. २९।

वक्तव्य

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (सन् १९९४ का महा. ३५) (जिसे इसमें आगे, " विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) निर्वाचित, नामित और सहयोजित सदस्यों को मिलाकर, महाराष्ट्र राज्य में कतिपय कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के गठन के लिये उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा ४२(१) यह उपबंध करती है कि, प्रत्येक प्राधिकरण की अवधि, १ सितंबर को प्रारंभ होगी और जिस दिनांक पर सदस्य ने उसके पद का ग्रहण किया, का विचार किये बिना, वह पाँच वर्षों की होगी।

२. महाराष्ट्र राज्य में कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने और उन्हें, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सक्षम बनाने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में वि. स. विधेयक क्र. १६ सन् २०१६ पुर:स्थापित किया है और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ का निरसन करने के लिए प्रस्तावित किया है। तथापि, विधानसभा ने राज्य विधानमंडल की संयुक्त समिति को उक्त विधेयक भेज दिया है। यह अपेक्षित है कि, संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक वर्ष २०१६ में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विचारार्थ रखा जाएगा। नये विधि के अधिनियमिति पर, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों को ऐसे नये विधि के उपबंधों के अनुसार गठित करना आवश्यक होगा।

३. उक्त प्रस्तावित विधि को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों का निर्वाचन, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन) अधिनियम, २०१५ (सन् २०१५ का महा. २९) द्वारा ३१ अगस्त २०१६ तक अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था। चूँकि, नये विधि की अधिनियमिति की प्रक्रिया ३१ अगस्त २०१६ के पूर्व पूरी नहीं की जा सकी, छात्रों के बृहत् हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के निर्वाचन का स्थगन करना और विश्वविद्यालय के कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिए, विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन तथा सहयोजन द्वारा उक्त प्राधिकरणों और निकायों का तदर्थ गठन करना इष्टकर समझती है।

४. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हुआ है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, विधि बनाने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित २८ सितम्बर २०१६।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

सिताराम कुंटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.